

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ4(गि)/आ.कृ./उर्वरक/3/2018-19/ 19985-20170 दिनांक: 13/6/18


1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड
3. परियोजना निदेशक, सीएडी कोटा।
4. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
5. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर।
6. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी कोटा/सुल्तानपुर/बूंदी।
7. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)

विषय:- वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिट के दिशा-निर्देशों के क्रम में।

प्रसंग:- इस शाखा का समसंख्यक पत्रांक 19088-228 दिनांक 31.5.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा एनएफएसएम-दलहन, गेहूं व तिलहन (पूर्व में एनएमओओपी) तथा राज्य योजनान्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन एवं जैव-उर्वरक वितरण के लिए वर्ष 2018-19 हेतु जिलेवार भौतिक व वित्तीय लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये गए थे।

राज्य योजनान्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिट का चालू वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन गत वर्ष के दिशा-निर्देशों (पत्रांक 3040-3250 दिनांक 13.06.17) के अनुसार ही किये जाने हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 5514-61 दिनांक 26.07.17, जिसमें वर्ष 2017-18 से सूक्ष्म पोषक तत्व किट का वितरण केवल महिला कृषकों को किये का उल्लेख किया गया था, जो कि वर्ष 2018-19 में भी यथावत लागू रहेगा।



(डॉ.आर.जी.शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

क्रमांक: एफ4(गि)/आ.कृ./उर्वरक/3/2018-19/ 19985-20170 दिनांक: 13/6/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक कृषि, आदान/विस्तार/अनुसंधान।
6. संयुक्त निदेशक कृषि (गु0नि0/योजना/ज.उ.प्र./एनएमओओपी) मु0, जयपुर।
7. महाप्रबन्धक (कृषि आदान) राजफैड, जयपुर
8. एसीपी, मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा-निर्देशों की प्रति कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. समस्त जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व निर्माता


संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)